

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं० :-3/अ०प्र०-1-102/2014 1172 /पटना, दिनांक :- 24.8.21

श्री रघुनन्दन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा अनुमंडल के सिंधिया प्रखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टी02 से कुण्डल अन्तर्गत बलवीर चौक आई0बी0 ढाला वाटर वेज बाँध राजघाट तक सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2847 दिनांक 19.09.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

श्री रघुनन्दन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा दिनांक-30.04.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतएव श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

lw
24.8.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-102/2014 1173 /पटना, दिनांक :- 24.8.21

प्रतिलिपि :-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना/मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री रघुनन्दन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता:-फ्लैट नं०-303, गणेशधाम अपार्टमेन्ट-03, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना, बिहार-800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

lw
24.8.21

उप सचिव